उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-59/2018/1408 /92-2-18-113जॉच/2017
लखनऊ:: दिनांक:: 14 जून,2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-गोण्डा में प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनान्तर्गत पैकेज संख्या--यू0पी0-3080 की निविदा प्रक्रिया में निविदादाता मै0 पी0एस0बी0 कान्स0 की निविदा को अनियमित ढंग से रिस्पॉसिव घोषित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री परवेज अली खॉ तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आईयू0-गोण्डा सम्प्रति प्रखण्ड-एटा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय पक्ष/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-गोण्डा को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 59/2018/1408(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी-200/ग्रा0अ0वि0/पीएमजीएसवाई सेल/पत्रा0-748/17-18 दिनांक 21.03.2018 इस आशय से प्रेषित कि श्री परवेज अली खॉ तत्का0 अधिशासी अभियंता, पी0आईयू0-गोण्डा सम्प्रति प्रखण्ड-एटा के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0 गोण्डा।
4- श्री परवेज अली खॉ तत्का0 अधिशासी अभियंता, पी0आईयू0-गोण्डा सम्प्रति प्रखण्ड-एटा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in